




भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान ब्यूरो कार्यालय



द्वितीय तल, जी एस आइ फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार ऑफिस कॉम्प्लेक्स,  
पोस्ट विधान सभा, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492 005  
टेलीफेक्स 0771-2282530, 2285595  
[Email-ro.raipur.ibm@gmail.com](mailto:Email-ro.raipur.ibm@gmail.com)

No- CG/RAP/LST-62/38CHG14013

दिनांक - 10/11/2017

प्रेषिति श्री रिपुसूदन वर्मा,  
ग्राम एवं पोस्ट - सुहेला, तहसील - सिमगा  
जिला बलोदा बाजार, छत्तीसगढ़ 493 195  
विषय छत्तीसगढ़ राज्य के बलोदा बाजार जिले में स्थित आपकी भाटभेरा चूनापत्थर खदान क्षेत्रफल 4.808 हे में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 10/09/2017 को श्री जे एस हाड़ा सहायक खनन भूविज्ञानी द्वारा किया गया तथा खान के निरीक्षण एवं रिकार्ड की जाँच में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के उपबंधों का उल्लंघन किया है जिसे इस कार्यालय के पंजिकृत समसंख्यक पत्र दिनांक 04/08/2017 द्वारा 45 दिनों की समयवधि के अंदर निराकरण करने हेतु भेजा गया था।

नियम	उल्लंघन का ब्योरा
27(2)	The difference of Financial Assurance as required under Rule 27(1) and Financial assurance already submitted by you, has not been submitted to the authorized officer in the form of a bank guarantee within 90 days from 28 February 2017.
35(2)	Online self-assessment report of sustainable mining (star rating template) has not been submitted to the Regional Controller, IBM, Raipur before the 1 <sup>st</sup> day of July 2017 for the previous financial year 2016-17.

यह पाया गया कि आपने नियम 35(2) की पालना कर दी है परन्तु नियम 27(2) के लिए शेष राशि का वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत नहीं किया है। अतः नियम 27 (2) की पालना अब तक नहीं हुई है।

- यह पाया गया है कि आपने इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र दिनांक 04.08.2017 का 45 दिन बीत जाने के बाद भी जबाब प्रस्तुत नहीं किया है।
- इस संदर्भ में आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवं इन नियमों की अनुपालना नहीं होने पर आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- अतः आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिन भीतर कारण बताएं कि उपरोक्त उल्लंघनों के लिये क्यों नहीं आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जाए।
- कृपया ध्यान रखें कि भविष्य में आपको इस संदर्भ में कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

भवदीय

(रुद्र नारायण मिश्र )  
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रति:

1. खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपूर।
2. संचालक,, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो